निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 431) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई 2020

सं० एसीस–01/नि0–28/2014–539––भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका (नर्स) श्रेणी 'ए' (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016"** में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** –

(1) यह नियमावली **"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका (नर्स) श्रेणी 'ए' (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2020"** कही जा सकेगी।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

4. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका (नर्स) श्रेणी 'ए' (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" का नियम – 5 का संशोधन।** –

उक्त नियमावली, 2016 का नियम–5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि **परिचारिका (नर्स) श्रेणी 'ए'** के पद पर सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी, परन्तु पूर्व से स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त कर्मियों का समायोजन के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। समायोजन स्वास्थ्य विभाग की सहमति के उपरान्त वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से सरकार द्वारा किया जा सकेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

28 जुलाई 2020

सं० एसीस–01/नि0–28/2014–539 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 28th July 2020

No- ESIS- 01/N1-28/2014-540—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar employees State Insurance Scheme Nurse Grade –'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules 2016.

1. *Short title extent & commencement.—*

(1) These 'Rules' may be called the "Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade –'A' (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Cadre (Amendment) Rules, 2020"

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of 'Rule -5 of Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade –'A' (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Cadre Rules' 2016- Rule 5 of the said Rules, 2016 shall be substituted by the following:-*

"Appointmnet on the basic post in the cadre shall be made by direct recruitment on the basis of recommendation of the Commission however appointment can also be absorption of previously appoineted employees of the Health Department. Absorption shall be made by the Government with the consent of Health Department and advice of General Administration Department and Finance Department."

By the order of the Governor of Bihar,
SUDHIR KUMAR,
Additional chief secretary to Governmnet.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 431-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in